रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 325] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 12, 2014/कार्तिक 21, 1936
No. 325] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 12, 2014/KARTIKA 21, 1936

भारतीय भेषजी परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2014

सं. 14-163/2010-भा.भे.परि.—भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 10 और 18 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय भेषजी परिषद्, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ-**

- इन विनियमों को "भेषजी संस्थानों में शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता विनियम, 2014" कहा जाएगा।
- ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. **उद्देश्य -**

- भेषजी संस्थानों के विभिन्न विभागों द्वारा डिप्लोमा, स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर प्रदान की जा रही शिक्षा के स्तर को बनाए रखने के लिए भेषजी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यताएं एवं अनुभव।

3. **शिक्षक की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यताएं-**

- डिप्लोमा, स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान करने वाले भेषजी कॉलेजों अथवा संस्थानों के विभिन्न विभागों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यताएं तथा अनुभव भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएंगी जो वर्तमान में निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार निर्धारित है :—

अनुसूची

प्रत्येक नियोक्ता प्राधिकरण, भेषजी महाविद्यालय अथवा संस्थान में, शिक्षक के पद पर नियुक्ति से पूर्व निम्नलिखित मानदण्डों का पालन करेगा -

(i) सभी भेषजी शिक्षक भेषजी अधिनियम, 1948 की धारा 12 के अंतर्गत भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा अनुमोदित परीक्षा प्राधिकरण (विश्वविद्यालय) से प्राप्त भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा मान्य बुनियादी भेषजी उपाधि रखते हों ;

(ii) अभ्यर्थी राज्य भेषजी परिषद् के भेषज पंजीकरण रजिस्टर में पंजीकृत होना चाहिए;

PRINCIPAL
NARAYANA PHARMACY COLLEGE
NELLORE - 524 002

(iii) नियोक्ता प्राधिकरण, भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा समय-समय पर अनुमोदित एवं अधिसूचित समतुल्य योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों के अभ्यर्थीकरण पर भी विचार कर सकता है।

(iv) शैक्षणिक पदों के नाम, शैक्षणिक योग्यताऐं एवं अध्यापन/अनुसंधान/औद्योगिक अनुभव जो शैक्षणिक पदों के लिए आवश्यक हैं, अनुसूची की तालिका में दर्शाये गये हैं।

(v) सभी शैक्षणिक संकाय पूर्णकालिक होने चाहिए सिवाय गणित एवं सांख्यिकी, बेसिक इलैक्ट्रोनिक्स, कम्प्यूटर ऐपलिकेशन, फार्मास्यूटिकल बिजिनेस मैनेजमैन्ट, इंजिनियरिंग ड्राईंग और पैथोलोजी इत्यादि जहां अंशकालिक शैक्षिणक स्टाफ की अनुमति होगी।

(vi) भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा मान्य एम.फार्म./फार्म.डी या विद्यावाचस्पति की योग्यता रखने वाले केवल वही शिक्षक जिन्होंने बी.फार्म पाठ्यक्रम की पढ़ाई भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा भेषजी अधिनियम, 1948 की धारा 12 के अंतर्गत अनुमोदित संस्थान से की है, भेषजी शिक्षक समझे जाएंगे।

(vii) केवल वही शिक्षक जो एम.फार्म./फार्म.डी पास करने के बाद किसी अनुमोदित/मान्यताप्राप्त कॉलेज में कम से कम पांच वर्ष का अध्यापन अनुभव अथवा विद्यावाचस्पति के बाद तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव रखते हों, स्नातकोत्तर भेषजी शिक्षक समझे जाएंगे।

(viii) भेषजी विभागों/कॉलेजों/संस्थानों में कार्य कर रहे शिक्षण संकाय के वेतनमान राज्य सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा समान श्रेणी के पदों के लिए निर्धारित वेतनमान से कम नहीं होंगे।

(ix) कोई भी शिक्षक जो किसी अनाचार या दुर्व्यवहार अथवा अनैतिक कार्य में लिप्त पाया जाता है उसे भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा अनुमोदित संस्थान में अध्यापन से तीन साल के लिए बहिष्कृत किया जाएगा। इसकी एक रिपोर्ट, भेषजी अधिनियम, 1948 की धारा 36 के अंतर्गत कार्यवाही के लिए राज्य भेषजी परिषद् को भी भेजी जाएगी।

(x) शिक्षक जो एक ही समय में एक जगह से अधिक जगह कार्य करेगा उसके विरूद्व निम्नलिखित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी –

(क) यदि वह एक से अधिक भेषजी संस्थानों में शैक्षणिक कार्य करता हुआ पाया जाएगा तो उसे भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा अनुमोदित भेषजी संस्थान में अध्यापन से तीन साल के लिए बहिष्कृत किया जाएगा तथा भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा उसे शिक्षक/स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप मे मिली मान्यता वापस ले ली जाएगी।

(ख) यदि वह भेषजिक उद्यम/विक्रय अथवा भेषजी संस्थान और उद्यम के किसी विभाग में कार्य करता पाया जाता है तो इसकी रिपोर्ट केन्द्रीय/राज्य औषधि नियंत्रण विभाग को ड्रग्स एण्ड कॉस्मैटिक्स एक्ट, 1940 के अंतर्गत कार्यवाही के लिए भेजी जाएगी।

(ग) यदि वह समुन्द्रपार किसी एजेंसी में कार्यरत है तो उसकी एक रिपोर्ट विदेश मामलों के मंत्रालय को उपयुक्त कार्यवाही के लिए भेजी जाएगी।

(घ) ऐसे सभी मामले राज्य भेषजी परिषद् को भेषजी अधिनियम, 1948 की धारा 36 के अंतर्गत नाम हटाने की कार्यवाही हेतु भेजे जाएंगे।

(xi) नियोक्ता भेषजी संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा नियुक्त कोई भी शिक्षक एक ही समय में एक से अधिक जगह कार्य नहीं कर रहा है। इस संबंध में यदि भेषजी संस्थान स्टाफ डिक्लेरेशन फार्म में गलत जानकारी भरता है तो भेषजी अधिनियम, 1948 की धारा 13 के अंतर्गत उसके विरूद्व कार्यवाही की जाएगी।

(xii) एक भेषजी शिक्षक किसी भेषजी कॉलेज में एक शैक्षणिक सत्र (1 जुलाई से अगले क्लैन्डर वर्ष 30 जून तक) में एक बार ही शिक्षक गिना जाएगा। जो व्यक्ति पहले ही किसी भेषजी कॉलेज के शैक्षणिक सत्र विशेष में एक बार शिक्षक गिना जा चुका है वह दुबारा भेषजी शिक्षक के रूप में किसी अन्य भेषजी संस्थान में उसी शैक्षणिक सत्र में शिक्षक नही गिना जाएगा।

तालिका

भेषजी महाविद्यालयों/संस्थानों में शैक्षणिक पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं, अध्यापन, अनुसंधान एवं उद्यम अनुभव की न्यूनतम आवश्यकताएं

I. डिप्लोमा पाठ्यक्रमः

पद का नाम	शैक्षणिक योग्यता	अध्यापन/अनुसंधान/उद्यम अनुभव
प्राचार्य/निदेशक/संस्थान प्रमुख/ विभागाध्यक्ष	भेषजिक विज्ञान के किसी विषय में भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा मान्य स्नाकोत्तर योग्यता अथवा भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा मान्य फार्म.डी योग्यता	**आवश्यक** भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा अनुमोदित/मान्यता प्राप्त भेषजी महाविद्यालय में 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव।

PRINCIPAL
NARAYANA PHARMACY COLLEGE
NELLORE - 524 002

		वांछनीय किसी जिम्मेदारी के पद पर प्रशासनिक कार्य का अनुभव
प्रवक्ता **(भेषजी विषय)**	भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा मान्य एम.फार्म./फार्म.डी अथवा भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा मान्य बी.फार्म. (i) एक व्यक्ति जिसके पास एम.बी.बी.एस की योग्यता है उसे अनाटॉमी एण्ड फिजियोलॉजी तथा बॉयो-केमिस्ट्री एण्ड क्लिनिकल पैथोलॉजी विषयों के लिए प्रवक्ता के पद पर विचार किया जा सकता है। (ii) एक व्यक्ति जिसके पास एम.एस.सी. (गणित) की उपाधि है अंशकालिक प्रवक्ता (गणित) के पद के योग्य होगा।	—— **आवश्यक** 3 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव।
	(iii) एक व्यक्ति जिसके पास एम.एस.सी. (जूलॉजी) अथवा एम.एस.सी.(बॉटनी) की उपाधि है अंशकालिक प्रवक्ता (बॉयोलॉजी) के पद के लिए योग्य होगा। (iv) एक व्यक्ति जिसके पास बी.ई.(सी.एस.) अथवा एम.सी.ए. की उपाधि है अंशकालिक प्रवक्ता (संगणक विज्ञान) के पद के योग्य होगा।	

II. बी.फार्म/फार्म.डी/स्नाकोत्तर भेषजी पाठ्यक्रय –

निदेशक/प्राचार्य/संस्थान प्रमुख	प्रथम श्रेणी में बी.फार्म उपाधि के साथ भेषजी में विशेषज्ञता की संगत शाखा में स्नाकोत्तर उपाधि (एम.फार्म) या फार्म.डी (योग्यता भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा मान्य होनी चाहिए) के साथ भेषजी के किसी भी विषय में विद्यावाचस्पति की उपाधि (विद्यावाचस्पति की उपाधि भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा मान्य होनी चाहिए)।	**आवश्यक** भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा अनुमोदित/मान्यता प्राप्त भेषजी महाविद्यालय में आचार्य/विभागाध्यक्ष के रूप में 5 वर्ष के साथ कुल 15 वर्ष का अध्यापन अथवा अनुसंधान कार्य का अनुभव। **वांछनीय** किसी जिम्मेदारी के पद पर प्रशासनिक कार्य का अनुभव।
आचार्य	प्रथम श्रेणी में बी.फार्म उपाधि के साथ भेषजी में विशेषज्ञता की संगत शाखा में स्नाकोत्तर उपाधि (एम.फार्म) या फार्म.डी (योग्यता भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा मान्य होनी चाहिए) के साथ भेषजी के किसी भी विषय में विद्यावाचस्पति की उपाधि (विद्यावाचस्पति की उपाधि भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा मान्य होनी चाहिए)।	**आवश्यक** भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा अनुमोदित/मान्यता प्राप्त भेषजी महाविद्यालय में सह आचार्य के रूप में 5 वर्ष के साथ कुल 10 वर्ष का अध्यापन अथवा अनुसंधान कार्य का अनुभव।
सह-आचार्य	प्रथम श्रेणी में बी.फार्म उपाधि के साथ भेषजी विशेषज्ञता की संगत शाखा में स्नाकोत्तर उपाधि (एम.फार्म) (योग्यता भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा मान्य होनी चाहिए)। भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा मान्य फार्म.डी की उपाधि धारक भी पैथोफिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी और फार्मेसी प्रैक्टिस विषयों में सह आचार्य के पद के लिए योग्य होगा। आचार्य के पद की पात्रता के लिए सह आचार्य को 7 वर्ष के अन्दर भेषजी के किसी भी विषय में	भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा अनुमोदित/मान्यता प्राप्त भेषजी महाविद्यालय में सहायक आचार्य या समतुल्य के रूप में 3 वर्ष का अध्यापन अथवा अनुसंधान का अनुभव।

PRINCIPAL
NARAYANA PHARMACY COLLEGE
NELLORE - 524 002

	भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा मान्य विद्यावाचस्पति की उपाधि प्राप्त करनी होगी।	
प्रवक्ता/सहायक आचार्य	प्रथम श्रेणी में बी.फार्म उपाधि के साथ भेषजी विशेषज्ञता की संगत शाखा में स्नाकोत्तर उपाधि (एम.फार्म) (योग्यता भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा मान्य होनी चाहिए)। भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा मान्य फार्म.डी उपाधि धारक भी पैथोफिजियोलॉजी, फार्माकॉलोजी और भेषजी प्रैक्टिस विषयों के लिए प्रवक्ता/सहायक आचार्य के पद के लिए योग्य होगा।	भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा अनुमोदित/मान्यता प्राप्त भेषजी महाविद्यालय में 2 वर्ष के अध्यापन अनुभव के बाद प्रवक्ता को सहायक आचार्य के रूप में रि-डैजिगनेट किया जाएगा।

टिप्पणी: (i) शिक्षा अधिनियम, 1991, फार्म.डी विनियम 2008 अथवा भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा अनुमोदित अन्य दस्तावेजों में निहित बातों के होते हुए भी, भेषजी शिक्षण संकाय की न्यूनतम योग्यताएं तथा अनुभव इन विनियमों में उल्लेखित योग्यताओं और अनुभव के अनुसार होंगे तथा इन विनियमों के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

(ii) नियमिति रूप से कार्य कर रही मौजूदा शिक्षण संकाय इन विनियमों से प्रभावित नहीं होगा। तथापि ऐसी शिक्षण संकाय की पदोन्नति इन विनियमों के अनुसार ही होंगी।

(iii) यदि स्नातकोत्तर स्तर पर श्रेणी या वर्ग नहीं दिया जाता, तो न्यूनतम 60% अग्रीगेट अंक या संचयी ग्रेड प्वाइन्ट औसत को प्रथम श्रेणी के समकक्ष या प्रथम श्रेणी या वर्ग, जैसा भी हो, के समतुल्य माना जायेगा।

(iv) नियमित रूप से कार्य कर रहा मौजूदा शिक्षण संकाय किसी भी अन्य भेषजी महाविद्यालय/संस्थान में उसी पद पर नियुक्त किया जा सकता है जिस पद से वे सेवानिवृति/कार्यभारमुक्त हुए थे, यद्यपि, ऐसे शिक्षकों की पदोन्नति इन विनियमों के अनुसार विनियमित होगी।

अर्चना मुदगल, निबन्धक-एवं-सचिव
[विज्ञापन III/4/असा./101/14]

PHARMACY COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2014

No. 14-163/2010-PCI.—In exercise of the powers conferred by Sections 10 and 18 of the Pharmacy Act,1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India, with the approval of the Central Government, hereby makes the following regulations; namely –

1. **Short title and commencement –**

- These regulations may be called the "Minimum Qualification for Teachers in Pharmacy Institutions Regulations, 2014".
- They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Objectives –**

- Appointment of pharmacy teachers with prescribed qualifications and experience in various departments of a pharmacy institution imparting diploma, graduate and post-graduate education to maintain the minimum standard of teaching.

3. **Minimum qualifications for appointment as a teacher –**

- Minimum qualification and experience for appointment as a teacher in various departments of a pharmacy college or institution imparting diploma, graduate and post-graduate education shall be as prescribed by the Pharmacy Council of India (PCI) from time to time and presently as specified in the Schedule given below –

THE SCHEDULE

Every appointing authority, before making an appointment to a teaching post in a pharmacy college or institution, shall observe the following norms –

(i) All pharmacy teachers must possess a basic degree recognized by the Pharmacy Council of India in pharmacy obtained from an examining authority (University) approved by the Pharmacy Council of India under section 12 of the Pharmacy Act, 1948;

PRINCIPAL
NARAYANA PHARMACY COLLEGE
NELLORE - 524 002

(ii) The candidate should be registered in the register of pharmacists maintained by a State Pharmacy Council;

(iii) The appointing authority can also consider the candidatures of the holders of equivalent qualifications approved and notified by the Pharmacy Council of India from time to time.

(iv) The names of the teaching posts, academic qualifications and the teaching/research/industry experience required for each teaching post are given in the table annexed to the Schedule.

(v) All teaching faculty shall be full time except in respect of the subjects like Mathematics and Statistics, Basic Electronics, Computer Applications, Pharmaceutical Business Management, Engineering Drawing and Pathology etc. where part-time teaching staff shall be permitted.

(vi) Only those teachers with M.Pharm/Pharm.D or Ph.D qualifications recognized by the Pharmacy Council of India who have undergone B.Pharm course from an institution approved by the Pharmacy Council of India under Section 12 of the Pharmacy Act,1948 shall be recognised as pharmacy teachers.

(vii) Only those teachers who possess at least five years teaching experience obtained in approved/recognized Pharmacy College after passing M.Pharm/Pharm.D course or three years teaching experience after Ph.D shall be recognized by the PCI as post –graduate pharmacy teachers.

(viii) The scale of pay of the teaching faculty working in pharmacy departments/colleges/institutions shall not be less than the scale of pay prescribed by the State Govt./UGC /AICTE for similar category of posts.

(ix) Any teacher who is found to be involved in malpractices or guilty of misconduct or misdemeanour shall be debarred from teaching in an institution approved by the Pharmacy Council of India for a period of three years. A report in the matter shall also be sent to the State Pharmacy Council for taking action under Section 36 of the Pharmacy Act,1948.

(x) A teacher working at more than one place simultaneously shall render himself liable to disciplinary action in the following manner :—

(a) He will be derecognized as a pharmacy teacher/PG teacher by the PCI and will be debarred from teaching in a pharmacy institution approved by the PCI for a period of three years if he is found teaching in more than one pharmacy institution.

(b) A report will be sent to the Central/State Drugs Control Deptt. for taking action under the Drugs & Cosmetics Act, 1940 if he is working in a pharmaceutical industry/sales or any other department of a pharmacy institution and industry.

(c) The matter will be referred to the Ministry of External Affairs for appropriate action if he is working with any agency overseas.

(d) In all such cases, the matter will be taken up with the State Pharmacy Council for taking action under Section 36 of the Pharmacy Act,1948 for deletion of his name from the State Pharmacy Register.

(xi) The employer Pharmacy Institution shall be responsible to ensure that the faculty employed by it as teacher is not working simultaneously in any other institution. In case the employer Pharmacy institution submits false Staff Declaration Form (SDF) in this regard then action shall be taken against it under Section 13 of the Pharmacy Act, 1948.

(xii) A Pharmacy teacher shall be considered teacher in one Pharmacy College in one academic year (1st July to 30th June of next calendar year). In case the person was already considered teacher during particular academic year in any Pharmacy College, he shall not be counted/considered as teacher in other institution in same academic year.

TABLE

MINIMUM REQUIREMENTS OF ACADEMIC QUALIFICATIONS, TEACHING, RESEARCH AND INDUSTRY EXPERIENCE FOR TEACHING POSTS IN PHARMACY COLLEGES/INSTITUTIONS

I. **Diploma course:**

Name of the Post	**Academic qualification**	**Teaching/Research/Industry Experience**
Principal/Director/ Head of Instt./ Head of Deptt.	PCI recognized Post Graduate qualification in any discipline of pharmaceutical sciences. OR PCI recognized Pharm.D	**Essential** 5 years teaching experience in PCI approved/recognized Pharmacy College. **Desirable** Administrative experience in a responsible position.

PRINCIPAL
NARAYANA PHARMACY COLLEGE
NELLORE - 524 002

Lecturer (Pharmacy subjects)	PCI recognized M.Pharm/ Pharm.D OR PCI recognized B.Pharm (i) A person holding M.B.B.S. qualification can be considered for the post of Lecturer in the subjects of Anatomy & Physiology and Bio-Chemistry & Clinical Pathology. (ii) A person holding M.Sc. (Maths) degree shall be eligible for the post of Lecturer (Mathematics) on part-time basis.	— **Essential** 3 years professional experience.
	(iii) A person holding M.Sc. (Zoology) or M.Sc. (Botany) degree shall be eligible for the post of Lecturer (Biology) on part-time basis. (iv) A person holding B.E.(C.S.) or MCA degree shall be eligible for the post of Lecturer(Computer Science) on part-time basis.	

II. B.Pharm /Pharm.D/Post graduate course in Pharmacy –

Director/Principal/ Head of Institution	First Class B.Pharm with Master's degree in Pharmacy (M.Pharm) in appropriate branch of specialization in Pharmacy or Pharm.D (Qualifications must be PCI recognized). With Ph.D degree in any of Pharmacy subjects (Ph.D. Qualifications must be PCI recognized).	**Essential** 15 years experience in teaching or research out of which 5 years must be as Professor/HOD in a PCI approved/ recognized pharmacy college. **Desirable** Administrative experience in a responsible position .
Professor	First Class B.Pharm with Master's degree in Pharmacy (M.Pharm) in appropriate branch of specialization in Pharmacy or Pharm.D (Qualifications must be PCI recognized). With Ph.D degree in any of Pharmacy subjects (Ph.D. Qualifications must be PCI recognized).	**Essential** 10 years experience in teaching in PCI approved/ recognized Pharmacy College or research experience out of which 5 years must be as Associate Professor in PCI approved/recognized Pharmacy College.

Associate Professor	First Class B.Pharm with Master's degree in Pharmacy (M.Pharm) in appropriate branch of specialization in Pharmacy (Qualification must be PCI recognized).	3 years experience in teaching or research at the level of Assistant Professor or equivalent in PCI approved/ recognized Pharmacy College.

PRINCIPAL
NARAYANA PHARMACY COLLEGE
NELLORE - 524 002

	A PCI recognized Pharm.D degree holder shall also be eligible for the posts of Associate Professor in the subjects of pathophysiology, pharmacology sand pharmacy practice. Associate Professor shall acquire PCI recognized Ph.D in any of Pharmacy subjects within 7 years to become eligible for the post of Professor.	
Lecturer/Assistant Professor	First Class B.Pharm with Master's degree in Pharmacy (M.Pharm) in appropriate branch of specialization in Pharmacy (Qualification must be PCI recognized). A PCI recognized Pharm.D degree holder shall also be eligible for the posts of Lecturer/Assistant Professor in the subjects of pathophysiology, pharmacology and pharmacy practice.	A lecturer will be re-designated as Assistant Professor after 2 years of teaching experience in PCI approved/ recognized Pharmacy College.

Note:

(i) Notwithstanding anything contained in the Education Regulations, 1991, the Pharm.D Regulations, 2008 or any other documents approved by the PCI, the minimum qualification and experience for the teaching faculty in pharmacy shall be as mentioned in these regulations w.e.f. the date of their publication in the Official Gazette.

(ii) The existing teaching faculty working on regular basis shall not be affected. However, promotions of such faculty will be governed by these regulations.

(iii) If a class or division is not awarded at Master level, a minimum of 60 % marks in aggregate or equivalent cumulative grade point average shall be considered equivalent to first class or division, as the case may be.

(iv) The existing teaching faculty working on regular basis can be appointed in any other Pharmacy College/ Institution on the same post from which such faculty member retired / relieved, however, promotions of such faculty member shall be governed by these regulations.

ARCHNA MUDGAL, Registrar-cum-Secy.

[ADVT. III/4/Exty./101/14]

PRINCIPAL
NARAYANA PHARMACY COLLEGE
NELLORE-524 002

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.